प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 177 सन 2020
अनवान :–

1. मनोज कुमार पुत्र डालुराम जाति सुथार निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 09.12.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा ढिलकी जाटान के खाता संख्या 49/39 की कुल 16.2420हैक भूमि जिसमें वादी सयुक्त तौर से 1/45 हिस्सा व खाता संख्या 36/40 के खसरा न0 75 की कुल 2.3900हैक का खातेदार काश्तकार है।

उक्त भूमि मे वादी का नाम विनोद कुमार दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम मनोज कुमार है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम मनोज कुमार है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम मनोज कुमार दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम विनोद कुमार दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर विनोद कुमार के स्थान पर मनोज कुमार संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित होकर जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिलस किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी ।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ढिलकी जाटान के खाता संख्या 49/39 की कुल 16.2420हैक भूमि जिसमें वादी सयुक्त तौर से 1/45 हिस्सा व खाता संख्या 36/40 के खसरा न0 75 की कुल 2.3900हैक का खातेदार काश्तकार है।

उक्त भूमि मे वादी का नाम विनोद कुमार दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम मनोज कुमार है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम मनोज कुमार है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम मनोज कुमार दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम विनोद कुमार दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा ढिलकी जाटान के खाता संख्या 49/39 की कुल 16.2420हैक भूमि जिसमें वादी सयुक्त तौर से 1/45 हिस्सा व खाता संख्या 36/40 के खसरा न0 75 की कुल 2.3900हैक का खातेदार काश्तकार है जिसमें वादी का नाम विनोद कुमार दर्ज है।

Scanned with CamScanner

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करते समय मनोज कुमार के स्थान पर विनोद कुमार दर्ज किया गया है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, शिक्षा विभाग की अंक तालिकाओ आदि दस्तावेजात सभी में वादी का नाम मनोज कुमार दर्ज है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी का नाम मनोज कुमार होना प्रतित होता है तथा अपने नाम के सम्बध में अपने परिवार के सदस्यो का शपथ पत्र भी पेश किया गया है।

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात , शपथ पत्र/पैरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत तथा पैरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढिलकी जाटान के खाता संख्या 49/39 की कुल 16.2420हैक्ट भूमि जिसमें वादी सयुक्त तौर से 1/45 हिस्सा व खाता संख्या 36/40 के खसरा न0 75 की कुल 2.3900हैक्ट भूमि में वादी का नाम विनोद कुमार अंकित है के स्थान पर मनोज कुमार उर्फ विनोद कुमार पुत्र डालुराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2021.को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 मे मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान–2021
कैम्प कोर्ट ढिलकी जाटान

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. मनोज कुमार पुत्र डालुराम जाति सुथार निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 177 सन 2021 निर्णय दिनांक–09.12.2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यो के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढिलकी जाटान के खाता संख्या 49/39 की कुल 16.2420हैक भूमि जिसमें वादी सयुक्त तौर से 1/45 हिस्सा व खाता संख्या 36/40 के खसरा न0 75 की कुल 2.3900हैक भूमि में वादी का नाम विनोद कुमार अंकित है के स्थान पर मनोज कुमार उर्फ विनोद कुमार पुत्र डालुराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2021.को प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान–2021
कैम्प कोर्ट ढिलकी जाटान

Scanned with CamScanner